

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1175/2016/भीलवाड़ा.

मैसर्स मयूर प्रिन्ट मीडिया,
8, अभिषेक मार्केट, गांधीनगर, भीलवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10/08/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 03/वेट/15-16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 26.02.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 76(6) सपठित नियम 53 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 21.02.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 19.02.2015 को अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आयातित माल की जांच सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाने पर माल से सम्बन्धित समस्त अनिवार्य दस्तावेज यथा बिल्टी, बिल एवं घोषणा पत्र प्रस्तुत किये गये थे जिसमें कोई विवाद नहीं था परन्तु अनिवार्य घोषणा पत्र वेट-47 संख्या 203714 जो कि दिनांक 04.01.2013 को विभाग द्वारा जारी किया गया था वह दिनांक 03.01.2015 को विधिक अवधिपार हो गया था इस आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानकर धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित किये जाने का प्रस्ताव किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा यह जवाब प्रस्तुत किया गया कि मात्र 47 दिन पूर्व ही यह अवधि पार हुआ था एवं माल का आदेश पूर्व में देने से पूर्व ही घोषणा पत्र विक्रेता फर्म को भिजवा दिया जाने से यह देरी हुई थी। साथ ही विभाग से दिनांक 19.02.2015 को नया घोषणा पत्र संख्या E47E190215109914 जारी करवाकर सक्षम अधिकारी के समक्ष दिनांक

लगातार.....2

20.02.2015 को प्रस्तुत किया गया एवं साथ में इस आशय का पत्र भी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 21.02.2015 को प्रस्तुत किया परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति एवं कर आरोपित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करते हुए शास्ति आदेश को यथावत रखा गया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी फर्म द्वारा माल का परिवहन पूर्णतया विधिक दस्तावेजों के साथ किया गया था जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है परन्तु प्रस्तुत दस्तावेजों में अनिवार्य घोषणा पत्र वेट-47 जो दो वर्ष की अवधि के लिये वैध था वह जांच के समय अवधि पूर्ण होने के 47 दिन बाद प्रस्तुत किये जाने से इसे वेट अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन माना है जो पूर्णतया अनुचित है। उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल आयात करने के लिये आदेश देते समय आवश्यक घोषणा पत्र विक्रेता व्यवसायी को भिजवा दिया जाता है एवं विक्रेता द्वारा माल की रवानगी के समय घोषणा पत्र भरकर परिवहन में संलग्न किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा चूंकि यह आदेश दो माह पूर्व दिया गया था अतः यह घोषणा पत्र समयावधि में भिजवाया गया था परन्तु माल का परिवहन घोषणा पत्र की अवधि समाप्त होने से यह अवधिपार हो गया था परन्तु इसमें अपीलार्थी की धारा 76(2) के उल्लंघन की कोई मंशा नहीं होना इस आधार पर जाहिर करता है कि विभाग द्वारा जारी घोषणा पत्र को किसी भी तरह से छिपाया नहीं जा सकता बल्कि उसका पूरा लेखा कर निर्धारण अधिकारी को दिया जाना आवश्यक होता है। यह कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा जानबूझकर अपीलार्थी के विरुद्ध शास्ति आरोपण करने की मंशा के साथ जो आदेश पारित किया है उसमें उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये नये वेट-47 का भी उल्लेख आदेश में नहीं किया गया है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा भी गलत रूप से यह लिखा गया है कि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष एवं अपीलीय आदेश तक भी नया घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया जबकि वह घोषणा पत्र एवं इस सम्बन्ध में अपीलार्थी का जवाब पत्रावली पर उपलब्ध है जिसकी जांच की जा सकती है अतः बिना किसी करापवंचन की मंशा के पूर्ण दस्तावेज के साथ परिवहनित माल पर शास्ति के आरोपण को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।


4. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।



6. इस प्रकरण में इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी फर्म द्वारा माल का आयात अनिवार्य एवं आवश्यक विधिक दस्तावेजों के साथ किया जा रहा था एवं विधिक रूप से विभाग द्वारा जारी घोषणा पत्र वैट-47 भी संलग्न किया गया था परन्तु वह घोषणा पत्र विहित अवधि समाप्त हो जाने से कालातीत होना मानते हुए शास्ति का आरोपण किया गया है। प्रकरण पत्रावली पर यह पाया कि सक्षम अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा जो जवाब दिनांक 22.02.2015 प्रस्तुत किया गया था वह पत्रावली के पृष्ठ संख्या 7 पर उपलब्ध है जिसमें नया घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख करते हुए माल एवं वाहन को मुक्त करने का निवेदन किया गया था परन्तु सक्षम अधिकारी की पत्रावली में वह घोषणा पत्र उपलब्ध नहीं पाया गया परन्तु अपीलीय अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि अपील के समय भी पत्र दिनांक 20.02.2015 की छायाप्रति एवं घोषणा पत्र की प्रति अपील स्तर पर भी देकर यह बताया गया था कि पूर्व घोषणा पत्र के विरुद्ध नया घोषणा पत्र वैट-47ए दिनांक 19.02.2015 को जारी करवाकर प्रस्तुत कर दिया था। सक्षम अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध पृष्ठ संख्या 7 का अवलोकन करने पर यह पाया कि सक्षम अधिकारी के कार्यालय में कांटछांट कर यह अंकन हटाने की कोशिश की है जिसमें यह लिखा हुआ था कि "तथा प्रार्थी नया VAT-47 प्रस्तुत कर रहा है।" उसकी प्रतिलिपि जो अपीलार्थी के पास मौजूद थी उसमें यह हटाया हुआ नहीं है एवं वह पत्र अपीलीय पत्रावली पर उपलब्ध है एवं वैट-47 की प्रति भी उपलब्ध है जो यह दर्शाता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा जानबूझकर अपीलार्थी के जवाब को गलत साबित करने के लिये पत्र में कांटछांट की गयी है जो अत्यन्त गम्भीर मामला है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा भी पत्रावली पर समस्त जवाब होने के बावजूद भी यह लिखा जाना कि अपील के समय तक भी वैट-47 पेश नहीं किया गया, गलत है एवं केवलमात्र शास्ति का आरोपण एवं उसकी पुष्टि करने का प्रयास मात्र है जो पुनः एक गम्भीर मामला है।

7. गुणावगुण के आधार पर जांच की जाने पर यह पाया कि अपीलार्थी की करापवंचन की कोई मंशा नहीं होने के कारण ही विधिक घोषणा पत्र विक्रेता फर्म को भेजा गया था जो वक्त जांच जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था जिसमें कोई विवाद नहीं है बल्कि वाहन को रोके जाने पर एवं नोटिस जारी किये जाने पर नया घोषणा पत्र वैट-47ए भी विभाग से प्राप्त कर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में एक युक्तियुक्त कारण के साथ प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार किया जाना अविधिक पाया जाता है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड




लगातार.....4

द्वारा यह स्पष्ट अवधारित किया गया है कि घोषणा पत्र के कालातीत हो जाने से वह Non-est नहीं होता है एवं ऐसे मामलों में शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं माना गया है। इस सम्बन्ध में माननीय कर बोर्ड की अपील संख्या 845/2011 निर्णय दिनांक 21.09.2015 मंगलम टिम्बर्स बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन, बांसवाड़ा एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन, जोधपुर बनाम मैसर्स जे. के. इण्डस्ट्रीज कांकरोली (2002) 1 आर.टी.आर. 26 में यह अवधारित किया गया है कि अवधिपार घोषणा पत्र के मामले में शास्ति का आरोपण अनुचित है। यह उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका एस.एल.पी. 1211/2010 को खारिज किया गया है।

8. फलतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश अपास्त किये जाकर आरोपित कर एवं शास्ति को अपास्त किया जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।


16/9/2017
(के. एल.जैन)
सदस्य